8/1/2023

तारीख रजू..............................

नत्थू वगैरा — बनाम — अशोक वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका हो।अप्रार्थीगण जरिये नोटीस रजि0 डाक से तलव हो। अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से श्री रूपकिशोर शर्मा एड0 ने केवियट प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी जरिये नोटीस रजि0 डाक से तलव होकर पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 21.07.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
21/7/23 — मुताबिक रोजीना एस.डी.ओ./P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो।	
10/11/23 — मुताबिक रोजीना एस.डी.ओ./P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 12/1/24 को पेश हो।	
12/1/24 — मुताबिक रोजीना एस.डी.ओ./P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 22/3/24 को पेश हो।	
22/3/24 — पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। P.O. साहब [illegible] है। पत्रावली दिनांक 31/5/24 को पेश हो। रीडर	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अनुपस्थित 15/12/25	
प्रस्तुत कर पत्रावली पी.ओ. साहब अवकाश/अनुपस्थित न्यायवाद दिनांक 6/1/26 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। आज ... पी.ओ. साहब अनुपस्थित ... पत्रावली दिनांक 10/2/26 को पेश हो	
... उपस्थित। ... की पालना में ... आदेश दिनांक 23/2/26 ... को पेश हो। समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया गया	
खण्ड अधिकारी	

यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

जस्व वाद संख्याः— 2 / 181 / 2023 दायर दिनांकः— 13 / 07 / 2023

ीसीएमएस नंः— 2023 / 377 निर्णय दिनांकः— 06 / 03 / 2026

बउनवान

1. नत्थू पुत्र स्व0 हरेती जाति जाटव निवासी कठूरमर।
2. रोशन पुत्र स्व0 हरेती जाति जाटव निवासी कठूमर।
3. रघुवीर पुत्र स्व0 हरेती जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर ।

————सायलान

बनाम

1. अशोक पुत्र स्व0 घनश्याम जाति जाटव निवासी कठूमर।
2. कैलाशी पुत्र स्व0 घनश्याम जाति जाटव निवासी कठूमर।
3. गुडडी पुत्री स्व0 घनश्याम जाति जाटव निवासी कठूमर।
4. सोनदेई पत्नि स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर।
5. राजू पुत्र स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर।
6. शेरसिंह पुत्र स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर।
7. इन्द्रा पुत्री स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर।
8. मछला पुत्री स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर।
9. सपना पुत्री स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर।
10. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

..... गैरसायलान

—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—श्री मानसिंह चौधरी —अधिवक्ता सायलान

श्री कृपादयाल राणा— अधिवक्ता गैरसायल सं0 4, 5, 6,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—::निर्णय::—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी नियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 812 0.47 हे0 ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी का 1/4 ा घनश्याम, नत्थू, जाति जाटव निवसी कठूमर की खातेदारी दर्ज है जो हो चुके है। जिनका विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा था इन्होने अपना हिस्सा अपनी निजी व अपने घरेलु आवश्यकता के लिये सायालन के पिता पुत्र भोन्दु जाटव कठूमर को दिनांक 14.07.1983 को जरिये रजिस्ट्रर्ड ामा बेचान कर नगद राशि प्राप्त कर उक्त आराजी पर सायलान के पिता कब्जा सभंलवाकर बयनामा उप पंजीय कठूमर के यहॉ तस्दीक करा दिया आराजी में सायलान के पिता का 1/3 हिस्सा पहले से ही था। इस प्रकार ल के पिता हरेती स्वयं का 1/3 हिस्सा व गैरसायलान पिता घनश्याम व से खरीद शुद 1/4 हिस्सा कुल 3/8 हिस्से पर जब तक सायलान के जीवित रहे काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर दीत आराजी पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कब्जे त है। मृतक हरेती का विरासत इंतकाल प्रार्थीयान के नाम स्वीकार हो चुका गैरसायलान के पिता का 1/4 हिस्से का बेचान करने के बाद विवादित ाजी से गैरसालयलान का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। नाही कोई सा शेष रहा है। सायलान के पिता हरेती ने मूल रजिस्ट्रर्ड बयनामा हल्का वारी को इन्तकाल दर्ज कराने हेतु उसी समय दे दिया हल्का पटवारी ने ाकाल खोले विना ही मूल बयनामा सायलान के पिता को लौटा दिया ायलान के पिता अनपढ होने के कारण समझे की पटवारी ने बयनामा के धार पर इन्तकाल दर्ज कर दिया है। लेकिन हल्का पटवारी ने विवादित न्तकाल दर्ज नही किया विवादित आराजी मृतक विकेता खातेदार नत्थू एवं

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

के नाम से दर्ज चली आ रही है। सायलान को खुले आम धमकी दी है तुझें विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देगें जबरन वेदखल कर खुद करेगें मृतक घनश्याम व नत्थू का विरासत इन्तकाल अपने नाम स्वीकार गैरसायल 10 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा न कर देगें। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये यलान तवाह एंव बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा वाजी वढेगी जिससे न को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः न ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पावन्द का निवेदन किया है।

ार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव गया। गैरसायल बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 2024 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। गैरसायल संख्या 4, 5, दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 9 नियम 7 सी पेश कर एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने का निवेदन किया गया पर बहस बकुलाय सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा ऑर्डर 9नियम नांक 07.10.2025 को साबित होने के कारण स्वीकार कर उनकी एकपक्षीय वाही को अपास्त किया जाकर जाकर पत्रावली पर सुने जाने का अवसर न किया गया।

गैरसायल सं0 4, 5, 6 ने हाजिर अदालत होकर सायल के प्रार्थना पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित ाजी गैरसायलान को विरासत में मिला है गैरसायलान अपने पिता के जीवन ल में व उनके मरने के बाद से उक्त विवादित आराजी पर काश्त करते चले ा रहे है। तथा उक्त आराजी पर काविज उक्त आराजी पैतृक संम्पति है जिसका वैचान वाली बात सायलान की गलत है। उक्त आराजी पर 50 बर्षो से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

9. सपना पुत्री स्व0 नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर

रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान कभी भी उक्त भूमि पर नही रहे है ना ही अब है। सायलान बेकब्जा व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र में थ्य गलत दर्ज कराये है। सायलान को किसी तरह का नुकसान व क्षति ी है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

ायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमावन्दी संवत् 2074 से किता 2 व नकल जमाबन्दी संवत 2037 से 2040, जमावन्दी 2046 से जमाबन्दी 2054 से 2057, नकल बयनामा दिनांक 14.07.1983 वाके ग्राम की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है

म दृष्टा केस

विधा का सन्तुलन

पूर्ति होने वाली क्षति

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र र्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर रकबा 0.47 हे0 ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी का 4 हिस्सा घनश्याम, नत्थू, जाति जाटव निवसी कठूमर की खातेदारी दर्ज है फौत हो चुके है। जिनका विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा था इन्होने ना 1/4 हिस्सा अपनी निजी व अपने घरेलु आवश्यकता के लिये सायालन पिता हरेती पुत्र भोन्दु जाटव कठूमर को दिनांक 14.07.1983 को जरिये ास्ट्रर्ड बयनामा बेचान कर नगद राशि प्राप्त कर उक्त आराजी पर सायलान पिता को कब्जा सभंलवाकर बयनामा उप पंजीय कठूमर के यहॉ तस्दीक करा दिया उक्त आराती में सायलान के पिता का 1/3 हिस्सा पहले से ही था। इस प्रकार सायल के पिता हरेती स्वयं का 1/3 हिस्सा व गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

9. सपना पुत्री स्व० नत्थू जाति जाटव निवासी कठूमर

श्याम व नत्थू से खरीद शुद 1/4 हिस्सा कुल 3/8 हिस्से पर जव
लान के पिता जीवित रहे काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत
पर विवादीत आराजी पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है।
कब्जे काश्त है। मृतक हरेती का विरासत इंतकाल प्रार्थीयान के नाम
हो चुका है। गैरसायलान के पिता का 1/4 हिस्से का वेचान करने के
वादित आराजी से गैरसालयलान का कोई संवंध व सरोकार नहीं रहा
ी कोई हिस्सा शेष रहा है। सायलान के पिता हरेती ने मूल रजिस्ट्रर्ड
हल्का पटवारी को इन्तकाल दर्ज कराने हेतु उसी समय दे दिया हल्का
ने इन्तकाल खोले विना ही मूल बयनामा सायलान के पिता को लौटा
सायलान के पिता अनपढ होने के कारण समझे की पटवारी ने वयनामा
धार पर इन्तकाल दर्ज कर दिया है। लेकिन हल्का पटवारी ने विवादीत
ल दर्ज नही किया विवादित आराजी मृतक विक्रेता खातेदार नत्थू एवं
ाम के नाम से दर्ज चली आ रही है। सायलान को खुले आम धमकी दी
हम तुझें विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देगें जबरन वेदखल कर
कब्जा करेगें मृतक घनश्याम व नत्थू का विरासत इन्तकाल अपने नाम
ार कराकर गैरसायल 10 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि
मुन्तकिल कर देगें। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो
तो सायलान तवाह एंव बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे
लान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः
लान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पावन्द
ने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस में अपने
ाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र
त तथ्यों के आधार पर पेश किया है विवादित आराजी गैरसायलान को विरासत
मिला है गैरसायलान अपने पिता के जीवन काल में व उनके मरने के बाद से
क्त विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। तथा उक्त आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

ी वाली क्षतिः—विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की खातेदारी में
यलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान ने
कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो
व पक्षकारान के मध्य मुकदमा वाजी वढेगी। जिससे सायलान को क्षति व
ने की संभावित है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में
है।

उपरोक्त बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित होने से प्रार्थी का
त्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना 212 आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृश्टा केस
सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित
यलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसाान व क्षति होती
रह की संभावना अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट
स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से
कया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 812 रकबा 0.47 हे0 ग्राम कठूमर
कठूमर तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें।
त्र 212 आरटीएक्ट मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना
ल शुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
लास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)